... शामिल पत्रावली किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु निर्धारित की गई। आज पेशी ... शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिससे जिरह की दिनांक 22.8.2019 को इकतरफा बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने पुनः निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया जिससे वादीगण का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीगण का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खाता विभाजन स्वीकार किया जाकर आदेश प्रदान किये जाते है कि वादीगण के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण प्रकरण की वादगत भूमि वाके रोही रोही कुचौर अगुणी के खसरा नम्बर 833 तादादी 4.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 तादादी 5.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 835 तादादी 1.95 हैक्टयर कुल तादादी 11.35 हैक्टयर भूमि में वादीगण का निहित हिस्से का खाता विभाजन का प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार करवाने एवं लगान पृथ्क–पृथ्क करने निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण के खाते में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हों । साथ ही अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 24 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती हैं कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बैजा दखलअन्दाजी ना करे ना ही वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **22.08.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

22/8/19

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)
नोखा

उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner